उत्तर प्रदेश शासन

लोक निर्माण अनुभाग-12

संख्या-49/2023/001-710-23-12-2023-1979-2022

दिनांकः 20 जुलाई, 2023

शुद्धि-पत्र

अवगत कराना है कि शासनादेश अपलोड करने की वेबसाइट पर पीडीएफ में अपलोड किये गये वित्तीय वर्ष 2023-24 में सी0आर0आई0एफ0 योजनान्तर्गत जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर के अंतर्गत फतेहगंज पूर्वी से दातागंज मार्ग पर बिलपुर रेलवे क्रासिंग सं0- 344ए पर सेतु के निर्माण कार्य से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-47/2023/001-710-23-12-2023-1979-2022, दिनांक 17.07.2023 अपलोड किया गया है, जिसके तृतीय पृष्ठ के प्रस्तर-2 पर अंकित धनराशि टंकण त्रुटिवश धनराशि रू0 2036.69 लाख हो गया है, जो वास्तव में 2036.00(रूपये बीस करोड़ छत्तीस लाख मात्र) है।

अतः उक्त शासनादेश के तृतीय पृष्ठ पर अंकित धनराशि रू0 2036.69 लाख के स्थान पर 2036.00(रूपये बीस करोड़ छत्तीस लाख मात्र) पढ़ा जाये।

2. उक्त शासनादेश संख्या-47/2023/001-710-23-12-2023-1979-2022, दिनांक 17.07.2023 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

(शरद सक्सेना)
अनु सचिव

संख्या-49**/2023/ 001-710(3)-23-12-2023-1979-2022,तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 लोक निर्माण मंत्री,उत्तर प्रदेश शासन।

2- नोडल अधिकारी, बजट एलॉटमेंट सिस्टम, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त शासनादेश को अपलोड कराने का कष्ट करें।

3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

4- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय,उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

5- सचिव,सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, परिवहन भवन-1, ससंद मार्ग, नई दिल्ली को उनके पत्र सं0-सीई-आर0ओ0/एलकेओ/ सीआरएफ/एम0ओ0यू0/2022-23/1128(क0नं0-212036), दिनांक 11-10-2022 के संदर्भ में।

6- मण्डलायुक्त,बरेली/ जिलाधिकारी, बरेली,उत्तर प्रदेश।

7- मुख्य अभियन्ता (मु0-1/सेतु) ,लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

8- केन्द्रीय सहायता अनुभाग, वित्त विभाग।

9- वित्त नियन्त्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1,उ0प्र0 शासन।

11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।

12- लोक निर्माण अनु0-10, उ0प्र0 शासन।

13- डाटा सेल, लोक निर्माण विभाग, नवीन भवन।

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शरद सक्सेना)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in